न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 14 / 2020

अपीलाण्टस	बनाम	रस्पान्डेन्ट
क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर जोधपुर		तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी जोधपुर जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56 / 2016 अनवान क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर बनाम तहसीलदार जोधपुर मे दिनांक 14–8–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री नवल सिह दडिया राजकीय अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2– तहसीलदार जोधपुर स्वयं

निर्णय

दिनांक 30–3–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 / 65 मे स्थित वनखण्ड की भूमि की तहसीलदार जोधपुर द्वारा की गई गलत तरमीम को निरस्त कर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र अनुसार सही तरमीम करवाने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2019 के द्वारा उनके समक्ष अपीलांट विभाग द्वारा प्रस्तुत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

अपीलांट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस मे उल्लेख किया है कि राजस्थान सरकार के कृषि (ग्रुप–7) विभाग योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 21–3–1985 के जरिये भेड व ऊन विभाग के द्वारा प्रवंधित किये जा रहे मौजा केरू के खसरा नंबर 812 के 100–100 हेक्टेयर के दो शिप एण्ड वूल प्लांट वन विभाग को हस्तातरित किये जाने के आदेश जारी किये गये । तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश की अनुपालना मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) जिला भेड विकास डीडीपी. जोधपुर द्वारा पत्र कमांक 84–85 दिनांक 26–3–85 के जरिये परियोजना अधिकारी भेड विकास डीपीडी जोधपुर को उक्त शीप एण्ड वूल प्लांट वन विभाग को हस्तांतरण करने के आदेश जारी किये गये । उक्त आदेश की अनुपालना मे शीप एण्ड वूल प्लांट वन विभाग को सुपुर्दगी से प्राप्त किया गया तथा राजस्व रेकर्ड मे वन विभाग के नाम दर्ज है । वर्ष 1985 से आज तक उक्त शीप एण्ड वूल प्लांट वनविभाग

34 वर्षों से उक्त प्लॉट की सुरक्षा एव निगरानी वन विभाग के कर्मियो द्वारा की जा रही है । उक्त दोनो शीप एण्ड वूल प्लांट की लगभग सीमा पर लूज स्टोन फेंसिंग वॉल बनी हुई है । उक्त दोनो शीप एण्ड वूल प्लाट द्वारा धारित 625–625 बीघा भूमि का अमल दरामद वन विभाग के पक्ष मे हो चुका है ।

अपीलांट ने अपनी लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि उक्त भूमि वन सरंक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण गोदावरमन बनाम भारत संघ मे पारित आदेश दिनांक 12–12–1996 की मूल भावना अनुसार वन भूमि के वैधानिक अस्तित्व को धारण करती है । इस वन भूमि की भौतिक स्थिति एवं सीमाओं मे परिवर्तन किये जाने पर वन सरंक्षण अधिनियम 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण गोदावरमन बनाम भारत संघ मे पारित आदेश दिनांक 12–12–1996 की मूल भावना की अभिरक्षा सुनिश्चित नही हो पाती है । अतः भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना इस वन भूमि की भौतिक स्थिति एवं सीमाओं के परिवर्तन किया जाना अनुमत नही है ।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस मे उल्लेख किया गया है कि उप वन सरक्षक जोधपुर के पत्रांक 805 दिनांक 25–1–2019 के जरिये तहसीलदार जोधपुर को उक्त वनखण्ड की सीमाओ का राजस्व मानचित्र की प्रति पर अंकन कर अकन अनुसार तरमीम करने का प्रस्ताव बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त प्रकरण मे श्री मांगीलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर जोधपुर को प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई दिनांक 9–2–2019 को करने के बाद उक्त प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर को निस्तारण हेतु अग्रेषित किया गया, जिसमे तहसीलदार जोधपुर को प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी अनुपालना मे तहसीलदार जोधपुर ने जरिये पत्रांक 2318–20 दिनांक 2–3–19 द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 की तरमीम हेतु टीम गठित कर खनिज विभाग, वन विभाग, एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर दिनांक 6–3–2019 को उक्त प्रकरण की तरमीम दुरस्त करने के निर्देश दिये गये लेकिन दिनांक 6–3–2019 को माननीय एन.जी.टी. बनखण्ड बेरीगंगा की सीमाज्ञान संबंधी आदेशो की पालना हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्देशो की पालना मे वन विभाग, राजस्व विभाग एवं भू अभिलेख विभाग सीमांकन कार्य मे व्यस्थ रहे तथा इसी दिन तत्कालीन तहसीलदार से मौखिक रूप से ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 के तरमीम कार्य हेतु आगामी दिनांक हेतु निवेदन किया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक 199 दिनांक 8–3–2019 द्वारा आगामी पेशी बाबत निवेदन किया गया परंतु तहसीलदार जोधपुर ने उक्त पत्र की अनदेखी करते हुए दिनांक 1–4–2019 को बिना वन विभाग की उपस्थिति मे उक्त तरमीम को पूर्ववत रखा जाने का आदेश पारित कर दिया ।

अपीलांट की ओर से लिखित बहस मे यह भी उल्लेख किया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा की गई उक्त तरमीम जी.पी.एस. कोर्डिनेट से गुगल अर्थ से मेल नही हो रहा है । इस तरमीम के विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक अपील संख्या 56/2019 क्षेत्रीय वन अधिकारी बनाम तहसीलदार जोधपुर पेश की गई, जिसमे अपीलांट को तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब की प्रति प्राप्त नही हुई तथा

अपीलांट के प्रभारी अधिकारी की बिना उपस्थिति एवं अपीलांट को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया था, तथा उल्लेख किया कि जिस दिनांक 14–8–2019 मे उक्त आदेश किया गया, उस समय अपीलांट के प्रभारी अधिकारी की सेवानिवृति हो चुकी थी तथा प्रभारी अधिकारी अपने गांव पर थे जबकि प्रभारी अधिकारी श्री बलरामचंद्र की उपस्थिति बताकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो न्यायसंगत नही होने से उक्त आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपील पेश कर निवेदन किया कि जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेशो की पालना कर वन विभाग, राजस्व विभाग व खनन विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भौतिक स्थिति अनुसार पुनः तरमीम करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

अपीलांट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दिनांक 28–1–2021 को फार्म नबर 3 के सलंग्न खसरा नंबर 812/65 के जमाबंदी संवत् 2060–63 की प्रति तथा दिनाक 12–2–2021 को फार्म नंबर 3 के सलंग्न अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये जिसमे वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियो द्वारा वन खण्ड केरू के खसरा नंबर 812/65 रकबा 625 के संबंध मे मौका मुआयना कर तैयार किया गया पंचनामा, नजरी नक्शा जिसमे राजस्व विभाग एवं वन विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि लाल एव काली स्याही से दर्शाई गई है, तहसीलदार कार्यालय जोधपुर से ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 मे वन विभाग एवं खनिज विभाग को आंवटित भूमि की तरमीम नक्शे लट्ठा मे करने हेतु गठित टीम को दिनांक 6–3–19 को मुकर्रर करने बाबत जारी आदेश दिनांक 1–3–19 की प्रति तथा उक्त आदेश के प्रत्युत्तर मे क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर द्वारा तहसीलदार जोधपुर को लिखा गया पत्र जिसमे तरमीम कार्य हेतु आगामी पेशी सुनिश्चित करने बाबत लिखा गया, आदि प्रस्तुत किये तथा अंत मे राजकीय अधिवक्ता ने उक्त अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

उक्त अपील का राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से दिनांक 8–9–2020 को पैरावाईज जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है जिसमे उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 812/65 रकबा 625 बीघा भूमि राजस्व रकर्ड अनुसार वन विभाग के नाम दर्ज है तथा खसरा नंबर 812/65 की 625 बीघा भूमि की ही तरमीम नक्शा लट्ठा मे की गई है, जो तरमीम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज रकबे के अनुसार नियमानुसार की गई है ।

तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब मे यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसील कार्यालय के आदेशानुसार सीमांकन वन विभाग के प्रतिनिधियो को सूचित करते हुए दिनांक 6–3–2019 को करना तय था, परंतु बावजुद सूचना के वन विभाग का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही रहा, तरमीम कार्य भी सीमांकन के बाद [illegible] तथा अपने जवाब मे यह भी उल्लेख किया कि [illegible] भूमि 625बीघा का कब्जा मौके पर होना बताया ।

तहसीलदार जोधपुर की ओर से पूर्व मे प्रस्तुत जवाब के निरंतर मे [illegible] 21 को प्रस्तुत लिखित जवाब मे यह भी कथन किया कि खनिज विभाग [illegible] विभाग द्वारा खनिज विभाग को अनापत्ति प्रमाण पत्र [illegible] विभाग द्वारा [illegible] का आवंटन किया गया [illegible]

जिसके संबंध मे मण्डल वन अधिकारी जोधपुर के पत्रांक 747 दिनांक 9–3–2000 की प्रति तथा मौका फर्द दिनांक 1–3–2000 की छायाप्रति एवं पत्रांक 1300–1301 दिनांक 1–3–2019 की प्रति जिसके द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 मे वन विभाग एवं खनिज विभाग को आवंटित भूमि की तरमीम नक्शे लट्ठे मे करने हेतु दिनांक 6–3–19 की सूचना उप वन सरक्षक वन विभाग जोधपुर को दी गई, जिन्हे उनके जवाब के साथ पढने का निवेदन किया ।

तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 15–1–21 को प्रस्तुत लिखित जवाब के निरंतर मे राजकीय अधिकर्ता द्वारा दिनांक 28–1–2021 को फार्म नंबर 3 के सलंग्न जमाबंदी खसरा नबर 812/65 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर कथन किया कि विभाग द्वारा अनापत्ति तो खसरा नबर 812 के संबंध मे जारी की गई थी जबकि वन विभाग की भूमि खसरा नबर 812/65 मी तरमीम के संबंध मे विवाद है, न कि खसरा नंबर 812 के संबंध मे ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस,जवाब एवं उसके समर्थन मे प्रस्तुत पत्रादि का भी गहनता से अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2019 का भी अध्ययन किया । तहसीलदार जोधपुर की ओर से दिनांक 30–7–18 एवं 21–8–18 के जरिये मौजा केरू के खसरा नंबर 812 मे स्थित वनखण्ड केरू प्रथम एवं द्वितीय की तरमीम के लिए उप वन सरंक्षक जोधपुर से प्रस्ताव चाहे जाने पर उप वन संरक्षक जोधपुर के कार्यालय से दिनांक 25–1–2019 के जरिये तहसीलदार जोधपुर को उक्त वन खण्ड की सीमाओ का राजस्व मानचित्र की प्रति पर अंकन कर अंकन अनुसार तरमीम करने प्रस्ताव प्रस्तुत किया । जिस पर जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश की पालना मे तहसीलदार जोधपुर द्वारा उनके पत्रांक 2318–20 दिनांक 2–3–2019 द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 की तरमीम हेतु टीम गठित कर खनिज विभाग वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर दिनांक 6–3–2019 उक्त प्रकरण की तरमीम दुरस्त करने के निर्देश दिये गये लेकिन उक्त तिथी दिनांक 6–3–2019 को न्यायालय एन.जी.टी. के वनखण्ड बेरीगंगा की सीमाज्ञान संबंधी आदेशो की पालना मे वन विभाग, राजस्व विभाग एवं भू अभिलेख विभाग की संयुक्त टीम के साथ सीमांकन कार्य मे व्यस्थ रहने से ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 की तरमीम कार्य हेतु आगामी दिनांक हेतु उसी दिन मौखिक निवेदन किया गया एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी जोधपुर के पत्रांक 199 दिनांक 8–3–2019 द्वारा तहसीलदार जोधपुर से लिखित मे भी निवेदन किया । परंतु तहसीलदार जोधपुर द्वारा इसको अनदेखा करते हुए दिनांक 1–4–2019 को उनके पत्रांक 1994 दिनांक 1–4–2019 के द्वारा उक्त तरमीम को पूर्ववत ही रखे जाने का आदेश पारित कर दिया जाने पर अपीलांट क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812/65 मे स्थित वनखण्ड की भूमि की तहसीलदार जोधपुर द्वारा राजस्व नक्शे मे प्रस्तावित की गई गलत तरमीम को निरस्त

कर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सलंग्न मानचित्र अनुसार सही तरमीम करवाने का निवेदन किया । जिसे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार जोधपुर से जवाब आदि प्राप्त कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2019 मे इसप्रकार उल्लेख किया गया है "ग्राम केरू के खसरा नंबर 812/65 रकबा 625 बीघा एवं खसरा नंबर 812/64 रकबा 625 बीघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है । लेकिन उक्त खसरा नंबरान की भूमियो मे वन विभाग से खनिज विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर खानी लाईसेंस जारी किये जा चुके है । प्रार्थी अपनी वन विभाग की भूमि होना बता रहे है जबकि उक्त भूमि खनिज विभाग की है । खसरा नबर 812/65 की तरमीम खनिज विभाग द्वारा बताई गई सीमा का मध्यनजर रखते हुए वन विभाग के कब्जे अनुसार मौके पर की जाना तहसीलदार जोधपुर ने अपने जवाब मे बताया है ।" इस प्रकार उक्त भूमि खनिज विभाग की होने से प्रकरण शुद्धि योग्य नही होने से उनके समक्ष वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया ।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 14–8–2019 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील मे अपीलांट की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस एवं रेस्पो0 तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दोनो पक्षो द्वारा अपनी बहस एवं जवाब के समर्थन मे प्रस्तुत दस्तावेजो, नजरी नक्शा आदि का अवलोकन एवं अध्ययन करने पर यह पाया जाता है कि जिला कलेक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार तहसीलदार जोधपुर द्वारा ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 की तरमीम हेतु गठित खनिज विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को दिनांक 6–3–2019 को मौके पर उपस्थित रहकर तरमीम दुरस्ती की कार्यवाही की जानी चाहिये थी परंतु उक्त तिथी दिनांक 6–3–2019 को न्यायालय एन.जी.टी. के वनखण्ड बेरीगंगा की सीमाज्ञान संबंधी आदेशो की पालना मे वन विभाग, राजस्व विभाग एवं भू अभिलेख विभाग की संयुक्त टीम के साथ सीमांकन कार्य मे व्यस्थ रहने के कारण ग्राम केरू के खसरा नंबर 812 की तरमीम कार्य हेतु आगामी दिनांक हेतु उसी दिन मौखिक निवेदन किया जाना बताया एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी जोधपुर के पत्रांक 199 दिनांक 8–3–2019 द्वारा तहसीलदार जोधपुर से लिखित मे भी निवेदन किया । परंतु तहसीलदार जोधपुर द्वारा इसको अनदेखा करते हुए दिनांक 1–4–2019 को उनके पत्रांक 1994 दिनांक 1–4–2019 के द्वारा उक्त तरमीम को पूर्ववत ही रखे जाने का आदेश पारित कर दिया, इस प्रकार तहसीलदार जोधपुर की उक्त कार्यवाही अपीलांट विभाग की अनुपस्थिति मे सम्पन्न की गई है जबकि प्रभावित पक्षकार वन विभाग ही होना प्रकट होता है इसलिए तहसीलदार जोधपुर द्वारा पारित एकतरफा आदेश दिनांक 1–4–2019 न्यायसंगत नही होने से निरस्त किया जाता है । इसके अलावा जब यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकट हो चुका था कि तहसीलदार जोधपुर ने वन विभाग की अनुपस्थिति मे आदेश पारित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत धारा 1... राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, जो सनर्थन योग्य नही है ।

वर्तमान अपील मे राजकीय अधिवक्ता द्वारा फार्म नंबर 3 के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजो मे नजरी नक्शा जिसमे वन विभाग के खसरा नंबर 812/65 की भूमि जिसमे राजस्व विभाग द्वारा लाल स्याही से तथा वन विभाग द्वारा नीली स्याही मे तरमीम दर्शाई हुई है जिसके अवलोकन से प्रथमदृष्टियां तरमीम का विवाद होना स्पष्ट प्रकट है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–8–2019 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपील मे वर्णित ग्राम केरू के खसरा नंबर 812/65 की नये सिरे से तरमीम करने हेतु राजस्व विभाग, वन विभाग एवं खान विभाग के कर्मचारियो की एक संयुक्त टीम का गठन कर एक तारीख मुकर्रर कर मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–3–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

सत्य प्रतिलिपि

रीडर
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर